प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

निजी भूमि पर तालाब निर्माण

योजना का विवरण	1.5 मीटर गहराई का इनलेट आउटलेट सहित तालाब निर्माण कराया जाता है तत्पश्चात बोरिंग की व्यवस्था व मानक अनुसार मत्स्य बीज का संचय किया जाता है। मत्स्य पालन की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होती है।
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹7.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 2.0 हे0 एवं स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

निजी भूमि पर निर्मित तालाब पर प्रथम वर्ष निवेश

योजना का विवरण	निजी भूमि पर निर्मित तालाब में प्रथम वर्ष के लिए मत्स्य बीज, मत्स्य पूरक आहार, दवा, बोरिंग एवं खाद आदि की उपलब्धता हेतु अनुदान की व्यवस्था
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹4.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 2.0 हे0 एवं स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

खारे पानी/सैलाइन/क्षारीय क्षेत्रों में नये तालाबों का निर्माण

योजना का विवरण	खारे पानी/ सैलाइन/ क्षारीय क्षेत्रों में 1.5 मीटर गहराई का इनलेट आउटलेट सहित तालाब निर्माण कराया जाता है तत्पश्चात बोरिंग की व्यवस्था व मानक अनुसार खारे पानी मत्स्य बीज/झींगा का संचय किया जाता है। मत्स्य पालन की अवधि सामान्यतः 4 माह की होती है।
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹8.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 2.0 हे0 एवं स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

खारे पानी/ सैलाइन/क्षारीय क्षेत्रों में निर्मित निजी भूमि के तालाबों मे मत्स्य पालन हेतु निवेश

योजना का विवरण	खारे पानी/सैलाइन/क्षारीय क्षेत्रों में निर्मित निजी भूमि के तालाबों में प्रथम वर्ष के लिए मत्स्य बीज, मत्स्य पूरक आहार, दवा, एरेटर एवं खाद आदि की उपलब्धता हेतु अनुदान की व्यवस्था
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹6.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 2.0 हे0 एवं स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि: शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मत्स्य बीज रियरिंग यूनिट का निर्माण

योजना का विवरण	1 मीटर गहराई का तालाब निर्माण जिसमें 0.25 हे0की 4 नर्सरी बनाई जाती है तत्पश्चात मत्स्य बीज फ्राई से फिगंरलिंग तैयार किया जाता है।
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹7.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 2.0 हे0 एवं स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मीठा पानी बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण

योजना का विवरण	0.1 हे0 निजी भूमि पर तालाब निर्माण कर, पालीथीन/HDPE बिछाया जाता है तथा कम से कम 2 एरेटर या सुपर चार्ज लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, 10 वर्ग फीट का कमरा फीड रखने हेतु निर्मित कर जनरेटर सेट स्थापित किया जाता है।
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹ 14.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 2 यूनिट एवं स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का 20 यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा / लीज / सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

फिनफिश हैचरी की स्थापना

योजना का विवरण	मत्स्य बीज उत्पादन हेतु फिश हैचरी में यथा ब्रुडर तालाब, नर्सरी तालाब, रियरिंग टैंक, प्रयोगशाला, पानी और बिजली की आपूर्ति बुनियादी सुविधाए शामिल है। इसकी न्यूनतम क्षमता 15 मिलियन फ्राई प्रति वर्ष/ईकाई या 6 करोड़ स्पान प्रति वर्ष/ईकाई होगी।
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹25.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। आवेदक के पास कम से कम0.5 हे0 निजी भूमि या 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

वृहद रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम/बायोफ्लाक टैंक का निर्माण

योजना का विवरण	इस परियोजना हेतु मात्र 1500 वर्ग मीटरभूमि की आवश्यकता होती हैं जिसमें सघन मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु बायो फिल्टर टैंक सहित 90 घन मी0 के 08 पक्के टैंक अथवा बायोफ्लाक टैंक हेतु 04 मी0 व्यास व 1.5 मी0 गहराई प्रति टैंक सहित 50 टैंक का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त फीड रूम, जनरेटर व बोरिंग की व्यवस्था आदि की जाती है।
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹50.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य 20 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 25 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 0.15 हे0 निजी भूमि या 10 वर्ष हेतु निजी भूमि का रजिस्टर्ड अनुबंध होना चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 02 यूनिट लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मध्याकार रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम/बायोफ्लॉक टैंक की स्थापना

योजना का विवरण	इस परियोजना हेतु मात्र 1000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होती है जिसमे सघन मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु बायो फिल्टर टैंक सहित 30 घन मी0 के 06 पक्के टैंक अथवा बायोफ्लॉक हेतु 04 मी0 व्यास व 1 मी0 ऊंचाई/टैंक सहित 25 टैंक का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त फीड रूम, जनरेटर व बोरिंग की व्यवस्था
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹ 25.0 लाख प्रति हे0अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 0.1 हे0 एवं स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 3 यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि:शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

लघु रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना

योजना का विवरण	इस परियोजना हेतु मात्र 100 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होती है जिसमे सघन मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु बायो फिल्टर टैंक सहित 100 घन मी0 का01 पक्का टैंक, इसके अतिरिक्त फीड रूम, जनरेटर/बिजली व बोरिंग की व्यवस्था
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹ 7.5 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 100 वर्ग मी0 निजी भूमि या 10 वर्ष हेतु निजी भूमि का रजिस्टर्ड अनुबंध होना चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 04 यूनिट
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि: शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

बैकयार्ड रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना

योजना का विवरण	सघन मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु बायो फिल्टर टैंक सहित 3000 से 5000 लीटर क्षमता का टारपोलीन/ पी.वी.सी./पक्का टैंक घर के अहाते में बना कर मत्स्य पालन किया जाता है।
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹ 0.50 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास अपना घर होना आवश्यक है,जिसमें मत्स्य पालन के टैंक बनाने हेतु खाली जगह होनी चाहिए। आवेदक के पास घर होने के रजिस्टर्ड अभिलेख या ग्राम सचिव द्वारा जारी घरौनी होनी चाहिए या आवेदन प्रेषित करने के समय 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए सदस्यों की संख्या के आधार पर 20 यूनिट की सीमा तक
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

इंसुलेटेड वाहन

योजना का विवरण	इंसुलेटेड वाहन के माध्यम से जनमानस को ताजी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वाहन क्रय हेतु सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹20.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक मछली बेचने व मछली की ट्रेडिंग का कार्य करने का इच्छुक हो। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स

योजना का विवरण	दो पहिया वाहन के माध्यम से जनमानस को उनके घर द्वार पर ताजी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वाहन क्रय हेतु सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹ 0.75 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक मछली बेचने व मछली की ट्रेडिंग का कार्य करने का इच्छुक हो । लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र बैंक पास बुक, फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

थ्री व्हीलर विद आइस बॉक्स

योजना का विवरण	तीन पहिया वाहन (सचल मत्स्य विक्री) के माध्यम से जनमानस को उनके घर द्वार पर ताजी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वाहन क्रय हेतु सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹3.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक मछली बेचने व मछली की ट्रेडिंग का कार्य करने का इच्छुक हो। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र बैंक पास बुक, फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

साइकिल विद आइस बॉक्स

योजना का विवरण	ग्रामीण अंचलों में साइकिल (सचल मत्स्य बिक्री) की सहायता से मत्स्य विक्रेतायों के लिए नजदीकी बाजार में मत्स्य विक्रय करने हेतु सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹ 0.10 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक मछली बेचने का कार्य करने का इच्छुक हो। स्वयं के संसाधनों से क्रय करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक, फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र

योजना का विवरण	लगभग 50 वर्ग मीटर भूमि में छोटे छोटे पक्के टैंक बना कर कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन प्रवाहित कर मछलियों को जिन्दा रखने की व्यवस्था करना। जिंदा मछली की बिक्री से अधिक आय प्राप्त होगी
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹20.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक मछली बेचने व मछली की ट्रेडिंग का कार्य करने का इच्छुक हो। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। नगर निकायों, तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय पर मत्स्य बिक्री हेतु भूमि उपलब्ध हो। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि: शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

लघु मत्स्य आहार मिल (उत्पादन क्षमता 02 टन/दिन)

योजना का विवरण	उत्पादन क्षमता 02 टन प्रति दिन का मत्स्य पूरक आहार का उत्पादन करने के लिए मत्स्य आहार मिल के निर्माण में सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹30.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 300 वर्ग मी0 निजी भूमी अथवा भूमि का 10वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मध्याकार मत्स्य आहार मिल (उत्पादन क्षमता 08 टन/दिन)

योजना का विवरण	उत्पादन क्षमता 8 टन प्रति दिन मत्स्य पूरक आहार का उत्पादन करने के लिए मत्स्य आहार मिल के निर्माण में सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹100.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 500 वर्ग मी0 निजी भूमी अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

वृहद मत्स्य आहार मिल (उत्पादन क्षमता 20 टन/दिन)

योजना का विवरण	उत्पादन क्षमता 20 टन प्रति दिन का मत्स्य पूरक आहार का उत्पादन करने के लिए मत्स्य आहार मिल के निर्माण में सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹200.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 1500 वर्ग मी0 निजी भूमी अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मत्स्य आहार प्लांट (उत्पादन क्षमता 100 टन/दिन)

योजना का विवरण	उत्पादन क्षमता 100 टन प्रति दिन का मत्स्य पूरक आहार का उत्पादन करने के लिए मत्स्य आहार मिल के निर्माण में सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹6500.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 4000 वर्ग मी0 या 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

पेन कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन

योजना का विवरण	मत्स्य उत्पादन बढ़ाने हेतु जलाशयों, नदियों व जल प्लावित क्षेत्रों में पेन कल्चर निर्माण कर मत्स्य पालन
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹3.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	पेन स्थापना हेतु जलक्षेत्र की उपलब्धता होनी चाहिए एक व्यक्ति को अधिकतम 2.0 हेक्टेयर एवं स्वयं सहायता समूह / ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मोबाइल लैब/क्लिनिक की स्थापना

योजना का विवरण	मछलियों में होने वाली बीमारियों की जांच एवं निदान तथा मत्स्य पालक के तालाब की मिट्टी एवं पानी की जाँच हेतु मोबाइल लैब/क्लनीक की स्थापना
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹35.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	फिशरीज साइंस / जीव विज्ञान / मैरीन बायोलाजी / माईक्रोवायोलाजी / बायो केमिस्ट्री में स्नातक होना चाहिए। आवेदक के पास कम से कम 100 वर्ग मी0 निजी भूमिया 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। मोबाइल लैब हेतु मानक के अनुसार व्हीकल क्रय करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मत्स्य प्रसार हेतु मत्स्य सेवा केन्द्र की स्थापना

योजना का विवरण	मत्स्य पालन से जुड़े समस्त व्यवसायिओं को मत्स्य पालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आदि की सहायता प्रदान करने हेतु सेवा केंद्र की स्थापना हेतु सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹25.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	फिशरीज साइंस / जीव विज्ञान / मैरीन वायोलाजी / माईक्रोवायोलाजी / वायो केमिस्ट्री में स्नातक होना चाहिए। आवेदक के पास कम से कम 100 वर्ग मी0 निजी भूमिया 7 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि: शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

बैकयार्ड ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट

योजना का विवरण	रंगीन मछलियों के उत्पादन के लिए शेड और रियरिंग/कल्चर टैंक का निर्माण करना
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹3.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 300 वर्ग फि0 साथ मे पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, निजी भूमि या 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 20यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा / लीज / सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मीडियम स्केल ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट

योजना का विवरण	रंगीन मछलियों के उत्पादन के लिए शेड ब्रीडिंग और रियरिंग/कल्चर टैंक का निर्माण करना
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹8.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 150 वर्ग मी0 साथ मे पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, निजी भूमि या 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 20यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि: शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

एकीकृत ऑर्नामेंटल फिश यूनिट

योजना का विवरण	रंगीन मछलियों के उत्पादन के लिए शेड,ब्रीडिंग, नर्सरी टैंक, प्रयोगशाला, रियरिंग और कल्चर टैंक का निर्माण करना एवं बिजली व पानी की व्यवस्था।
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹25.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 500 वर्ग मी0 साथ मे पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, निजी भूमि या 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप, एफ0 एफ0 पी0 ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 20यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि: शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

ऑर्नामेंटल फिश ब्रूड बैंक

योजना का विवरण	मत्स्य बीज की आवश्यकता हेतु मछलियों के ब्रूडर संचय के ब्रूड बैंक की स्थापना
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹100.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास स्वयं की निजी भूमि या 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह / ज्वाइन्ट लाइबिल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 2 यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

कोल्ड स्टोरेज 50 टन क्षमता

योजना का विवरण	मत्सय आखेट करने के पश्चात मत्स्य उत्पाद को निर्यात के भंडारण करने हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
वितीय सहायता	इकाई लागत ₹ 150.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास स्वयं की निजी भूमि या 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

फिश/एक्योरियम व सजावटी मछली विक्रय हेतु कियोस्क

योजना का विवरण	खुदरा मछली विक्रय हेतु फिश कियोस्क के निर्माण में सहायता
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹10.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 50 वर्ग मी0 निजी भूमि या 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने हेतु प्राथमिकता दी
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	निः शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

केज़ निर्माण कर मत्स्य पालन

योजना का विवरण	केज़ निर्माण कर मत्स्य पालन मत्स्य उत्पादन बढ़ाने हेतु जलाशयों में केज निर्माण कर मत्स्य पालन
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹ 3.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0 जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	जलाशयों में न्यूनतम 8 से 10 मीटर गहराई तक जल स्तर होना चाहिए। एक व्यक्ति को अधिकतम 18 केज़ एवं समितियों को अधिकतम 72 केज तक अनुमन्य है।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	जलक्षेत्र उपलब्धता का अभिलेख, आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि:शुल्क

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मनोरंजन मात्स्यिकी

योजना का विवरण	मनोरंजन मात्स्यिकी के अंतर्गत खुले जलाशय या वर्ष भर पानी से भरी हुई नदियों व जलाशयों तथा तालाबों में मछली पकड़ने, एंग्लिंग की सुविधा, बोट की सुविधा आदि का विनिर्माण किया जाता है
वित्तीय सहायता	इकाई लागत ₹50.0 लाख प्रति हे0 अनुदान–सामान्य व अन्य को 40 प्रतिशत तथा अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
अर्हता	आवेदक के पास कम से कम 0.4 हेक्ट निजी भूमि या 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक की लाभार्थी अंश का 25 प्रतिशत स्वीकृति पत्र एवं शेष लाभार्थी अंश का स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से
आवश्यक अभिलेख	आधार कार्ड, निजी भूमि अथवा भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा /लीज/ सहमति पत्र तथा स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फोटो
आवेदन शुल्क	नि:शुल्क